उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-1
संख्या-61/2015/1670 ई-1/तेरह-2015-499(6)/2015
लखनऊ:दिनांक 09 सितम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0- 2608/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम् राजेश कुमार व अन्य तथा उससे सहबद्ध अन्य सिविल अपीलों में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 का मुख्य प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

> In the ultimate analysis, we conclude and hold that Section 3(7) of the 1994 Act and Rule 8A of the 2007 Rules are ultra vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (supra) and without the aid or assistance of Section 3(7) and Rule 8A shall remain undisturbed.

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8क का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गई है, उन्हें पदावनत कर दिया जाए। पदावनत कार्मिकों को वित्तीय नुकसान न हो, इसके लिये वर्तमान में कार्मिकों को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियत वेतन के रूप् में वैयक्तिक रूप से तब तक अनुमन्य करायी जायें, जब तक कि संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार उनसे आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन उसके बराबर न हो जाय, परन्तु इसके कारण वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ इन पदावनत कर्मियों को प्राप्त नहीं होगा और इस नियत वैयक्तिक वेतन के आधार पर समान वेतन दिये जाने की मांग अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पद धारकों द्वारा इस आधार पर नहीं की जाएगी कि वे उनसे कनिष्ठ हैं।

http://basanaresh.nic.in

(ख) वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची, जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08-05-2012 एवं 13-05-2012 के क्रम में जारी की गइ है, के अनुसार 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8क का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी, जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाय।

3- कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 2015 के प्राविधानों के अनुसार आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-ए16599/चार-एससी/एसटी/आरक्षण/15-11-97/अधि0 दिनांक 31-08-2015, द्वारा दिनांक 15.11.1997 के पश्चात् पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8क का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों को उस स्तर तक, जिस स्तर तक उनके कनिष्ठ कर्मी सम्प्रति कार्यरत हैं, पदावनत किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4- कार्मिक विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 21-08-2015 के अनुपालन में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-ए16599/चार-एससी/एसटी/आरक्षण/15-11-97/अधि0 दिनांक 31-08-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में, दिनांक 15.11.1997 के बाद पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नत हुए श्री सलेक चन्द्र उप आबकारी आयुक्त के पद पर पदोन्नति की तिथि आबकारी निरीक्षक की ज्येष्ठता सूची के आधार पर उनसे कनिष्ठ श्री विपिन बिहारी शर्मा (सेवानिवृत्त)/युगल किशोर स्वर्णकार (सम्प्रतिसेवारत) की उप आबकारी आयुक्त के पद पर प्रोन्नति की तिथि 13-12-2014 के समान दिनांक 13-12-2014 निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री सलेक चन्द्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 13-12-2014 से उप आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यरत माने जायेंगे :-

(1) पदावनत कार्मिक को वित्तीय हानि न हो, इसके लिये उनकी पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियाँ तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में उनको प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिये पदावनति के उपरान्त निर्धारित उनके मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियाँ तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अन्तर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जाएगा जिस सीमा तक उनके मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों हित आधारित सकल वेतन

में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियाँ तब तक फ्रीज रहेंगी, जब तक कि उनके आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियाँ इसके बराबर या इससे अधिक न हो जायें, परन्तु पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों, (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा और अनारक्षित वर्ग के पदधारकों, जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी, द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मांग नहीं की जाएगी, कि वे संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार, उक्त कार्मिक से वरिष्ठ हैं।

अर्थात पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा तथा आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन बराबर होने तक पदावनत कार्मिक को पदावनत पद के वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी, किन्तु उक्त वेतन वृद्धि की धनराशि उसके वैयक्तिक वेतन में समायोजित होती रहेगी, अर्थात पदावनत कार्मिक की कुल परिलब्धियाँ फ्रीज रहेंगी।

अर्थात पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक का वेतन आसन्न वरिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर निर्धारित किया जायेगा तथा पदावनत किये जाने पर आरक्षित श्रेणी के कार्मिक एवं आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियों का जो अन्तर होगा, वह नियत वेतन के रूप में वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जायेगा। यह वैयक्तिक वेतन प्रतिवर्ष अनुमन्य होने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि में समायोजित होता जायेगा, अर्थात वैयक्तिक वेतन उस सीमा तक कम होता रहेगा, जब तक कि आसन्न वरिष्ठ कर्मी का वेतन तथा पदावनत कार्मिक का वेतन बराबर न हो जाये।

(2) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधायें प्राप्त करेंगे।

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: (1) ई-1/तेरह-2015-499(6)/2015 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि वे सम्बन्धित कार्मिक को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7. वित्त नियंत्रक, आबकारी विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
8. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त।
11. सम्बन्धित कार्मिक ।
12. गार्ड फाइल/चरित्र पंजिका।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :/ /... से सत्यापित की जा सकती है।